रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251854 CG-DL-E-06022024-251854

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945

No. 92]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 5 फरवरी. 2024

सा.का.नि. 101(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय वनस्पित सर्वेक्षण (भारी वाहन चालक) भर्ती नियम, 1989 और भारतीय वनस्पित सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें उक्त नियमों के अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पित सर्वेक्षण में चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी, श्रेणी । और श्रेणी ॥) के पद पर भर्ती पद्धित का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी, श्रेणी I और श्रेणी II) भर्ती नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

799 GI/2024 (1)

## 4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

# उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन
				पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. चालक सह	6*(2023)	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर - 5 (29200-	अचयन
मैकेनिक (श्रेणी I)	* कार्यभार के आधार	समूह 'ग',	92300 रुपए)	
	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,		
	जा	अननुसचिवीय		
	सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि
व्यक्तियों के लिए आयु-	व्यक्तियों के लिए	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	यदि कोई हो।
सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	
	अन्य अर्हताएं	या नहीं।	
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
सीधे होगी या प्रोन्नति	की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	समिति है, तो उसकी	किन
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	संरचना।	परिस्थितियों
आमेलन द्वारा तथा			में संघ लोक
विभिन्न पद्धतियों द्वारा			सेवा आयोग
भरी जाने वाली रिक्तियों			से परामर्श
की प्रतिशतता।			किया
			जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा ।	<u>प्रोन्नति :</u>	समूह 'ग' विभागीय	लागू नहीं
	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	होता

में ऐसे चालक सह मैकेनिक (श्रेणी ॥) में से के संबंध में विचार करने जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा या के लिए) जिसमें चालक सह मैकेनिक (श्रेणी ॥) और चालक सह निम्नलिखित होंगे :-मैकेनिक (साधारण श्रेणी) में तेरह वर्ष की 1. निदेशक. भारतीय सम्मिलित सेवा की है एवं सरकार द्वारा विहित वनस्पति सर्वेक्षण ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण किया है। – अध्यक्ष: टिप्पण : जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में. 2. कार्यालय प्रमुख, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली भारतीय वनस्पति है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, सर्वेक्षण. कोलकाता वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार – सदस्य: किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा 3. कार्यालय प्रमुख, की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित भारतीय प्राणी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो सर्वेक्षण. कोलकाता वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और – सदस्य। उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित. जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापुर्वक पुरी कर ली हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. चालक सह	7*(2023)	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर - 4 (25500-	अचयन
मैकेनिक (श्रेणी II)	* कार्यभार के आधार	समूह 'ग',	81100 रुपए)	
	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,		
	जा	अननुसचिवीय		
	सकता है।	· ·		

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

			1
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा ।	<u>प्रोन्नति :</u>	समूह 'ग' विभागीय	लागू नहीं
	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रुपए)	प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	होता
	में ऐसे चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी) में	के संबंध में विचार करने	
	से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा	के लिए) जिसमें	
	की है एवं सरकार द्वारा विहित व्यवसाय परीक्षण	निम्नलिखित होंगे :-	
	में उत्तीर्ण किया है।	1. निदेशक, भारतीय	
	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,	वनस्पति सर्वेक्षण	
	जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली	– अध्यक्ष;	
	है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,	2. कार्यालय प्रमुख,	
	वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	भारतीय वनस्पति	
	किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा	सर्वेक्षण, कोलकाता	
	की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित	– सदस्य;	
	अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो	3. कार्यालय प्रमुख,	
	वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	भारतीय प्राणी	
	उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	सर्वेक्षण, कोलकाता	
	जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी	– सदस्य।	

कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
पूरा कर ला हा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. चालक सह	7*(2023)	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर - 2 (19900-	लागू नहीं होता
मैकेनिक (साधारण	* कार्यभार के आधार	समूह 'ग',	63200 रुपए)	
श्रेणी)	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,		
	जा	अननुसचिवीय		
	सकता है।	-		

	<del>,</del>		
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच	आवश्यक :	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से
(केंद्रीय सरकार द्वारा	(i) मोटर वाहन चलाने के लिए वैध चालक		नियुक्त या
जारी किए गए अनुदेशों	अनुज्ञप्ति;		पुनर्नियोजित
या आदेशों के अनुसार	(ii) मोटर वाहन यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी के		व्यक्तियों के लिए
सरकारी कर्मियों के लिए	पास वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को		दो वर्ष
40 वर्ष तक शिथिल की	ठीक करने का कौशल हो);		
जा सकती है)।	(iii) मोटर वाहन चलाने का कम-से-कम तीन		
टिप्पण 1 : आयु सीमा	वर्षों का अनुभव; और		
अवधारित करने के लिए	(iv) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।		
निर्णायक तिथि भारत में			
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	वांछनीय :		
करने के लिए विहित की	होम गार्ड या सिविल वालंटियर के रूप में		
गई अंतिम तिथि होगी (न	तीन वर्ष की सेवा।		
कि वह अंतिम तिथि जो	टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के		
असम, मेघालय,	मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार		
अरुणाचल प्रदेश,	अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।		
मिजोरम, मणिपुर,	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम		
नागालैंड, त्रिपुरा,	प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों		
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के	और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के		
लाहौल और स्पीति जिला	लिए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के		
तथा चंबा जिले के पांगी	किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है		
उपमंडल एवं लद्दाख,	कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के		
अंडमान व निकोबार	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों		
द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के	के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
अभ्यर्थियों के लिए विहित	की संभावना नहीं है।		
की गई है)।			
टिप्पण 2 : यदि सीधी			
भर्ती खुली प्रतियोगी			
परीक्षा के माध्यम से की			
जाएगी तो आयु सीमा 18			
से 27 वर्ष होगी।			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन	प्रतिनियुक्ति या आमेलन <u>:</u>	समूह 'ग' विभागीय	(13) लागू नहीं
द्वारा जिसके न हो सकने	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वेतन मैट्रिक्स	निर्धारण समिति	होता
पर सीधे भर्ती द्वारा ।	(18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में नियमित	(निर्धारण के संबंध में	61.11
	बहुकार्यन कर्मचारी (एमटीएस), समूह 'ग' में से	विचार करने के लिए)	
	जिनके पास मोटर वाहन चलाने की योग्यता की	जिसमें	
	जांच हेतु चालक परीक्षण के आधार पर मोटर	निम्नलिखित होंगे :-	
	वाहन चलाने का वैध चालक अनुज्ञप्ति हो जिसके	1. निदेशक, भारतीय	
	न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों	वनस्पति सर्वेक्षण	
	या विभागों के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900	– अध्यक्ष;	
	रुपए) में स्तर 1 वाले नियमित समूह 'ग'	2. कार्यालय प्रमुख,	
	कर्मचारी जिनके पास स्तंभ (7) में विहित	भारतीय वनस्पति	
	अपेक्षित अर्हताएं हो :	सर्वेक्षण, कोलकाता	
	सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/	– सदस्य;	
	पुनर्नियोजन :	3. कार्यालय प्रमुख,	
	एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने	भारतीय प्राणी	
	वाले कार्मिक अथवा जिन्हें रिजर्व में भेजा जाना	सर्वेक्षण, कोलकाता	
	है और जिनके पास आवश्यक अनुभव और	– सदस्य।	
	योग्यताएं हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे		
	व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी		
	जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बलों से		
	रिलीज देय है; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन		
	आधार पर जारी रखा जा सकता हैं।		
	टिप्पण 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
	अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,		
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए		
	जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त		
	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए		
	जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
	अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
	संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		
	धारित किसी अन्य काडर बाह्वय पद पर		
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष		
	से अधिक नहीं होगी।		
	टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की		
	अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
		1	

[फा. सं. 01/14/2021-सीएसबी] नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

**G.S.R. 101(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Heavy Vehicle Driver) Recruitment Rules, 1989 and the Botanical

Survey of India (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver-cum-Mechanic (Ordinary grade, Grade I and Grade II) in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Driver-cum-Mechanic (Ordinary grade, Grade I and Grade II) Recruitment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post
post.				or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Driver-cum-	*6 (2023)	General Central	Level-5 in the pay	Non-selection.
Mechanic	*Subject to variation	Service, Group 'C',	matrix	
(Grade-I).	dependent on	Non- Gazetted, Non -	(Rs. 29200-92300/-	
	workload.	Ministerial.	).	

Age limit for Direct recruits.		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment,	In case recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances in
whether by direct recruitment	promotion or deputation or	Committee exists, what is its	which the Union
or by promotion or by	absorption, grades from	composition.	Public Service
deputation / absorption and	which promotion or		Commission is to
percentage of the vacancies	deputation or absorption to		be consulted in
to be filled by various	be made.		making
methods.			recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not applicable.
		Promotion Committee (for	

Driver-cum-Mechanic (Grade-II) in pay level-4 (Rs. 25500-81100/-) with five years regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Drivercum-Mechanic (Grade-II) and Driver-cum-Mechanic (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by Government. Note-Where juniors who have completed

their qualifying or eligibility service being are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

considering promotion) consisting of :-

1. Director, Botanical Survey of India - Chairman;
2. Head of Office, Botanical Survey of India - Member;
3. Head of Office, Zoological Survey of India - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Driver-cum-	*7 (2023)	General Central	Level-4 in the pay matrix	Non-selection.
Mechanic	*Subject to variation	Service, Group 'C',	(Rs. 25500-81100/-).	
(Grade-II)	dependent on	Non- Gazetted, Non		
	workload.	-Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not applicable.
		Promotion Committee (for	
	Driver-cum-Mechanic (Ordinary	considering promotion) consisting	
	Grade) in Level 2 in the pay	of:-	
	matrix (Rs. 19900-63200) with		
	eight years' regular service in the	1. Director, Botanical Survey of	
	grade and have passed the trade	India - Chairman;	
	test, specified by the	2.Head of Office, Botanical	
	Government.	Survey of India - Member;	
		3.Head of Office, Zoological	
	Note-Where juniors who have	Survey of India - Member.	
	completed their qualifying or		

41 11 11 1	
eligibility service are being	
considered for promotion, their	
seniors would also be considered	
provided they are not short of the	
requisite qualifying or eligibility	
service by more than half of such	
qualifying or eligibility service or	
two years, whichever is less and	
have successfully completed their	
probation for promotion to the	
next higher grade along with their	
juniors who have already	
completed such qualifying or	
eligibility service.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Driver-cum-	*7 (2023)	General Central	Level-2 in the pay	Not applicable.
Mechanic	*Subject to variation	Service, Group 'C',	matrix	
(Ordinary	dependent on	Non- Gazetted,	(Rs. 19900-63200/-).	
Grade)	workload.	Non –Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)
18 to 25 years	Essential:	Not applicable.	Two years for direct
(Relaxable for	(i) Possession of a valid	rtot applicable.	recruits or re-employed.
Government servant upto	driving license for motor		recruits of the employed.
forty years in accordance	cars;		
with the instructions or	(ii) Knowledge of motor		
orders issued by the	mechanism (The		
Central Government).	candidate should be able		
Note 1 The crucial date	to remove minor-defects		
for determining the age	in vehicle);		
limit shall be the closing	(iii) Experience of driving a		
date for receipt of	motor car for at least three		
applications from	years; and		
candidates in India (and	(iv) Pass in 10th standard.		
not the closing date	. ,		
prescribed for those in	Desirable:		
Assam, Meghalaya,			
Arunachal Pradesh,	Three years service as Home Guard		
Mizoram, Manipur,	or Civil Volunteers.		
Nagaland, Tripura,			
Sikkim, Lahaul and Spiti	Note 1 Qualifications are relaxable		
District and Pangi Sub-	at the discretion of the Competent		
division of Chamba	Authority in the case of candidates		
District of Himachal	otherwise well qualified.		
Pradesh, Union territory of			
Ladakh, Andaman and	Note 2: The qualification regarding		
Nicobar Islands and	experience is relaxable at the		
Lakshadweep).	discretion of the competent authority		
	in the case of candidates belonging to		
Note 2 If the direct	the Scheduled Castes or Scheduled		
recruitment is to be made	Tribes if at any stage of selection, the		
by direct open competitive	competent authority is of the opinion		
examination, the age limit	that the sufficient number of		
would be 18 to 27 years.	candidates with requisite experience		
	is not likely to be available to fill up		
	the vacancy reserved for them.		

(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation or	Deputation or Absorption:	Group 'C' Departmental	Not applicable.
Absorption failing which	From amongst the regular Multi-	Confirmation Committee	
by direct recruitment.	Tasking Staff Group 'C' or Group 'C'	(for considering	
	employees in the level-1 in the pay	confirmation) consisting	
	matrix (Rs. 18000-56900/-) in Botanical	of :-	
	Survey of India who possess valid		
	Driving License for Motor Cars on the	1. Director, Botanical	
	basis of a Driving Test to assess the	Survey of India-	
	competence to drive Motor Cars failing	Chairman;	
	which from officials holding the post of	2.Head of Office,	
	Multi-Tasking Staff on regular basis or	Botanical Survey of	
	regular Group 'C' employees in level-1	India – Member;	
	in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	3.Head of Office,	
	in other Ministries or Departments of	Zoological Survey of	
	the Central Government who fulfil the	India -Member .	
	necessary qualifications as mentioned in		
	column (7).		
	Deputation or reampleyment for		
	Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:		
	Armed Forces Fersonner.		
	The Armed Forces Personnel due to		
	retire or who are to be transferred to		
	reserve within a period of one year and		
	having the requisite experience and		
	qualifications prescribed shall also be		
	considered, such persons would be give		
	deputation terms upto the date on which		
	they are due for release from Armed		
	Forces, thereafter they may be		
	continued on re-employment.		
	Note 1 The period of deputation		
	including the period of deputation in		
	another ex-cadre post held immediately		
	preceding this appointment in the same		
	or some other organisation or		
	Department of the Central Government		
	shall ordinarily not exceed three years.		
	Note 2 The maximum age-limit for		
	appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty		
	six years as on the closing date of		
	receipt of applications.		
	receipt of applications.		l

[F. No. 01/14/2021-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.